

12-12-2022

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फ़ास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)


मुरली पुत्र गंगल्या वगै०

बनाम

नाथू पुत्र गंगल्या वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र कैवियट

मुकदमा नम्बर:- 120/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
12.12.2022	<p>प्रार्थी वकील श्री सरदार सिंह प्रथम एड० के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 31.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फ़ास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

